

# समाहटपालय, गोपालगंज

(जिला भू-अर्जन प्रशाखा)

अधिसूचना

पत्रांक सं०-14/डी०एल०ए० गोपालगंज (पथ)-115/2012-2973/रा०, पटना, दिनांक-18/11/2012  
संख्या- आर० दिनांक-

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-दिधवा चादर नं०-07 थाना नम्बर-339, थाना-गोपालगंज, परगना-भकंडल, जिला-गोपालगंज में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् महम्मदपुर-छपरा पथ के चौकीकरण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम-दिधवा चादर नं०-07 थाना नम्बर-339, के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमे-बेश 01.78 एकड़ के बराबर होता है

जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है :-

खेसरा नं०- 8806 अंश, 8805 अंश, 9779 अंश, 9783 अंश, 9784 अंश, 9785 अंश, 9790 अंश, 9791 अंश, 9792 अंश, 9793 अंश, 9499/10812 अंश, 9799 अंश, 9800 अंश, 9801 अंश, 10564 अंश, 10565 अंश, 9722 अंश, 9731 अंश, 9732 अंश, 9733 अंश, 9734 अंश, 9760 अंश, 9761 अंश, 9762 अंश, 9772 अंश, 9777 अंश, 9776 अंश, 9470 अंश, 9469 अंश ।

जिसकी चौहदी निम्नांकित है :-

उत्तर :- दिधवा थाना नं०-339, मिलान चादर नं०-05

दक्षिण :- सीवाना कतालपुर थाना नं०-268

पूरब :- खेसरा सं०-9469 अंश, 9470 अंश, 9473 अंश, 9475 पूर्ण, 9771 अंश, 9772 अंश, 9762 अंश, 9761 अंश, 9760 अंश, 9734 अंश, 9733 अंश, 9732 अंश, 9731 अंश, 9722 अंश, 10565 अंश, ।


पश्चिम:- खेसरा सं०-8806 अंश, 8805 अंश, 9779 अंश, 9783 अंश, 9784 अंश, 9785 अंश, 9790 अंश, 9791 अंश, 9792 अंश, 9793 अंश, 10612 अंश, 9799 अंश, 9800 अंश, 9801 अंश, 10564 अंश, ।

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम-1894 यथा संशोधित-1984 की धारा-4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 के द्वारा संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध है। अर्जित की जाने वाले भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है।

समाहर्ता, गोपालगंज, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे उप महाप्रबंधक (तकनीकी), बिहार स्टेट रोड डेमलपमेन्ट कार्पोरेशन, हाजीपुर के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा-2 में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

चूंकि यह भू-अर्जन योजना तुरन्त आवश्यक है।

अतः बिहार भू-अर्जन अधिनियम-1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 17(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए इस मामले में लागू नहीं होगी।

  
समाहर्ता  
गोपालगंज।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

६०-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक सं०-14/डी०एल०ए० गोपालगंज (पथ)-115/2012-2973/रा०, पटना, दिनांक-18/12/2012

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को प्रारूप की तीन प्रतिया को दो दैनिक समाचार पत्रों से जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशित करने एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट समाहरणालय शाखा, गोपालगंज को जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं प्रकाशित जिला गजट की अतिरिक्त 10-10 प्रतियों इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा एवं समाहर्ता, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।

२